भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2345

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में कमी

†2345. श्री अ. मनिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के धर्मापुरी जैसे ग्रामीण और अल्प सुविधा प्राप्त जिलों में डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और चिकित्सा शिक्षा में सुधारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को कम करने और योग्य डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करने, टेली-परामर्श सुविधाओं को बढ़ाने, धर्मापुरी में सेवा करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को प्रोत्साहित करने और राज्य में चिकित्सा प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है, और प्रौद्योगिकी-आधारित उपाय क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो धर्मापुरी और अन्य समान जिलों के लिए ऐसे लक्षित उपायों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में सुधार का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना, दवाओं, उपकरणों, मानव संसाधनों और सेवाओं

में सुधार लाने एवं सभी राज्यों में एक समान, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) लागू किए हैं। सरकार ने देश भर में ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाओं को संचालित किया है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र प्रदाता-से-प्रदाता (ई-संजीवनी एबी-एएएम) और रोगी-से-चिकित्सक (ई-संजीवनी ओपीडी) परामर्श दूरस्थ विशेषज्ञ सलाह को सुदृढ़ बनाने, अनुवर्ती परिचर्या और समय पर उपचार संबंधी अंतःक्षेप, लंबी दूरी की यात्रा में रोगियों की जरुरतों को कम करने के लिए समर्थकारी बनाया है। "यू कोट, वी पे" योजना सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अत्यधिक कमी को दूर करने की एक पहल है। इसमें विशेषज्ञों को स्वतः वेतन तय करने की अनुमति मिलती है और सरकार अक्सर एनेस्थेटिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ जैसे पदों के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार करती है, जिसके परिणामस्वरूप नियमित वेतन से तीन गुने से अधिक की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेली-मेडिसिन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करती है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और संबद्ध योजनाओं नामतः 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी अनुदान, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) आदि के तहत जन स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, डिजिटल स्वास्थ्य पहलों और टेलीमेडिसिन के माध्यम से धर्मापुरी सहित ग्रामीण और अल्पसेवित जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को कम करने तथा योग्य चिकित्सा पेशेवरों तक पहुंच में सुधार करने हेतु अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

इसके अतिरिक्त, जेबी खर्च को कम करने के लिए निःशुल्क निदान सेवाएं, जनसंख्या आधारित जांच, संगठित कैंसर जांच, घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (सीएमएचआईएस) के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा जैसी पहलों का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी भारी व्यय को कम करने के लिए निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य कार्यकलापों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य के प्रयासों को पूर्णता प्रदान करने हेतु कई पहल की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

******